

सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या-2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड देहरादून।

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्याकलापों का विवरण

क्र०सं०	नाम	वर्तमान कार्यकलाप	परिवर्तित कार्यकलाप प्रस्तावित
1	अपर निबन्धक/संयुक्त निबन्धक	1- सम्बन्धित योजना के अधीन क्रियान्वयन किये जाने वाले समस्त कार्य। 2- आवंटित मण्डल के अन्तर्गत अभिनिर्णयों का निस्तारण। 3- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमों का क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन। 4- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा आवंटित कार्य।	1- सम्बन्धित योजना के अधीन क्रियान्वयन किये जाने वाले समस्त कार्य। 2- आवंटित मण्डल के अन्तर्गत अभिनिर्णयों का निस्तारण। 3- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमों का क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन। 4- निबन्धक द्वारा तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।
2	उप निबन्धक	1- मण्डल में स्थित सहकारी समितियों के नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों के तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।	1- मण्डल में स्थित सहकारी समितियों के नियंत्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उप नियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों के तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।
3	सहायक निबन्धक	1-जनपद में स्थित सहकारी समितियों के नियन्त्रण हेतु सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उपनियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों को तदनुसार मार्ग दर्शन करना। 2- निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।	1- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमावली के उप नियमों का क्रियान्वयन तथा समितियों को तदनुसार मार्गदर्शन करना। 2-निबन्धक तथा उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्य।
4	अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग-1	तहसील स्तर पर सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं अनुपालन कराना, आडिट, सहकारी समितियों के पुर्नगठन, आर्बीट्रेशन, शिकायतों की जाँच , अधीनस्थ विकास खण्ड में नियुक्त विभागीय कर्मचारियों पर	1- तहसील स्तर की समस्त सहकारी समितियों का निरीक्षण, अभिनिर्णय करना तथा उनका अनुपालन। 2- विभिन्न आडिट रिपोर्ट की जाँच। 3- सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत समितियों की जाँच एवं अन्य कार्य करवाना।

		नियंत्रण रखना, सहकारी समितियों में कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	4— सहकारी एवं राजकीय देयों की वसूली करवाना। 5— तहसील स्तर नियुक्त अधिनस्थ स्टाफ पर नियंत्रण। 6—समितियों के उपभोक्ता एवं कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना। 7— उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य।
5	सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता)/ सहकारी निरीक्षक वर्ग-2	विकासखण्ड में स्थित समस्त प्रकार की सहकारी समितियों का वर्ष में 4 बार निरीक्षण करना, ऋण सत्यापन, आडिट परिपालन, अभिनिर्णय, वार्षिक संकलन तैयार करना, उच्चाधिकारियों के निरीक्षणों का अनुपालन कराना, उपभोक्ता व्यवसाय कराना, कृषि निवेशों की आपूर्ति निश्चित करवाना, सहकारी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना, नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों पर वैधानिक कार्यवाही करना, समितियों की बैठक में भाग लेना, किसान सेवा केन्द्रों का संचालन अन्य कार्य जो विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर आवंटित किये जाये।	1—निरीक्षण एवं आडिट परिपालन 2— अभिनिर्णय एवं सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत जाँच। 3— सत्यापन। 4— सहकारी समितियों के उत्थान एवं स्वाश्रयिता के लिए आवश्यक सुझाव एवं उनका क्रियान्वयन। 5— विकास खण्ड सैक्टर में आवंटित कार्य। 6— सहकारी समितियों से सम्बन्धित विविध कार्य। 7— उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य।
6	राजकीय पर्यवेक्षक	सहकारी समितियों का निरीक्षण, सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव, समितियों की ऋण सीमाओं का प्रस्तुतीकरण, समिति द्वारा वितरित ऋण का सत्यापन, सहकारी देयों की वसूली, राजकीय देयों की वसूली, समितियों में वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक कराना, आडिट एवं निरीक्षण का अनुपालन, समितियों के वार्षिक अभिलेखों का तैयार कराना, किसान सेवा केन्द्रों में नियमित भाग लेना, सहकारी समितियों में सदस्यता तथा साधन वृद्धि करना।	1—निरीक्षण एवं आडिट। 2—सदस्यता वृद्धि, साधन वृद्धि करना। 3—ऋण सत्यापन। 4—राजकीय एवं सहकारी देयों की वसूली। 5—समितियों के वार्षिक अभिलेखों को तैयार करना। 6— किसान सेवा केन्द्रों तथा ग्राम पंचायतों की बैठक में भाग लेना। 7— उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आवंटित कार्य।

विनिश्चय प्रक्रिया पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम

निर्णय की प्रक्रिया :-

- 1— विभिन्न स्तर से प्राप्त जनता के शिकायती पत्रों के सन्दर्भ में जांच एवं निस्तारण की प्रक्रिया प्रायः शिकायती पत्रों की स्वयं जांच करना या अधीनस्थ को जांच हेतु अधिकार देना, जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा संबन्धित को सुनवाई का अवसर देना जांच से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/एफ.आई. आर./वसूली की कार्यवाहियां सम्पादित करवायी जाएं।
- 2— सहकारी संस्थाओं के किसी सदस्य तथा समिति के मध्य विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में धारा 70 की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः प्राप्त प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार मध्यस्थ /मध्यस्थ ऋण नियुक्त करना तथा मध्यस्थ/मध्यस्थ ऋण द्वारा निस्तारण संबन्धित पत्रों को सुनवाई का अवसर देना तथा पत्रों द्वारा प्रस्तुत लेख्य साक्ष्यों व बयानों के आधार पर मध्यस्थ द्वारा विवाद में निर्णय देना।
- 3— सहकारी संस्थाओं के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के कृत्यों के कारण संस्था को क्षति पहुँचाये जाने के सन्दर्भ में जांच एवं जांचानुसार निर्णय धारा 65 के अन्तर्गत जांच अधिकारी को जांच के आदेश, जांच अधिकारी की आख्यानानुसार क्षति की स्थिति में धारा 68 के अन्तर्गत अधिकार के आदेश अथवा धारा 70 की कार्यवाही के निर्देश।

4—नियम 247, 248,—

247(1) — यदि विवाद सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो तो निर्देश—

क—जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्गस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक ही मण्डल (डिवीजन) के एक से अधिक जिलों के दो या दो से अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलो के एक से अधिक जिले की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश क्षेत्र (रीजन) के क्षेत्राधिकारयुक्त उपनिबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों (क्षेत्रों) में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो, निर्देश धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों को किया जायेगा।

(ख) – यथास्थिति, मण्डल के उप निबन्धक या मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद के अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद अधिक मण्डलो के जिलो की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त उप निबन्धक/अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धको के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां को किया जायेगा।

(ग)– सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक, मुख्यालय को किया जायेगा यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति को मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धको के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों को किया जायेगा।

(घ)– यदि निर्देश धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों को किया जायेगा तो विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति को मूल्य या दावे की धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक होनी चाहिये।

(2) यदि विवाद प्रबन्ध समिति के गठन या किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बन्धित हो तो निर्देश—

क'– किसी शीर्ष सहकारी समिति के मामले में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक को किया जायेगा।

ख— किसी शीर्ष समिति से भिन्न किसी सहकारी समिति की दशा में उस जिले के जिसकी समिति हो, जिला मजिस्ट्रेट को किया जायेगा।

(3)— यदि विवाद उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में न हो तो निर्देश, यथास्थिति, मण्डल के उपनिबन्धक/मुख्यालय के उप निबन्धक को किया जायेगा।

प्रतिबन्ध— यह है कि यदि विवाद विभिन्न मण्डलों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारयुक्त अपर निबन्धक को किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों में दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो तो निर्देश धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों को किया जायेगा।

248 : नियम 247 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर—

(क)— जिला सहायक, निबन्धक विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है किन्तु शर्त यह है कि—

1— यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो तो यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष वह होगा, जो सहकारी निरीक्षक, वर्ग-2 की श्रेणी से नीचे का न हो या जो सहकारी निरीक्षक, वर्ग-2 के पद से सेवा निवृत्त हुआ हो।

2— यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक, किन्तु पचास हजार रुपये से अधिक न हो, तो यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष वह होगा, जो सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 की श्रेणी से नीचे का न हो, या जो सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 के पद से सेवा निवृत्त हुआ हो।

(ख)— मण्डल का उप निबन्धक या मुख्यालय का उप निबन्धक, यथास्थिति, विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है। अथवा यथास्थिति, किसी ऐसे मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है। जो राज्य सरकार के समूह "ख" के

किसी अधिकारी की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो या जो राज्य सरकार के समूह "ख" के राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ग)– अपर निबन्धक विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है अथवा यथास्थिति, किसी ऐसे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त कर सकता है , जो राज्य सरकार के समूह "क" के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो य जो राज्य सरकार के समूह "क" राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद नियम 247 के उपनियम (2) के अन्तर्गत आता हो तो यथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष उस विवाद से सम्बन्धित शीर्ष सहकारी समिति के प्रशासन से सम्बन्धित विभाग का कार्यरत अधिकारी नहीं होगा।

(घ)– धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया निबन्धक, सहकारी समिति विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है, अथवा यथास्थिति, ऐसा मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष इसके लिए नियुक्त कर सकता है जो अपर निबन्धक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो या जो अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ङ)– जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

